प्रकरण संख्या 8/2019 अशोकसिंह बनाम बाबूसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बग्गड में आराजी नंबर 3827/3019 रकबा 3 बीघा भूमि स्थित है, जिसमें से 1/2 हिस्सा वादी को दिनांक 03.08.2010 को बक्सीस कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया, तब से वादी काबिज चला आ रहा है। अतः वादी को उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 15.01.2018 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा यह अपील दिनांक 08.01.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री प्रकाश पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की उसे कोई जानकारी नहीं थी तथा दिनिांक 24.12.2018 को प्रथम बार जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की अपीलान्ट को जानकारी थी, फिर भी अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जो मयाद पर ही खारिज की जावे। हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा अपील करीब 10 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, किन्तु प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।	

प्रकरण संख्या 8/2019 अशोकसिंह बनाम बाबूसिंह

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.01.2018 से पूर्व की पेशी 29.11.2017 को आगामी तारीख नियत नहीं की एवं सीधे ही दिनांक 10.01.2018 को पत्रावली वास्ते जवाब नियत कर दी, किन्तु बिना जवाब लिये तथा बहस का बिना अवसर दिये सीधे ही निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में 29.11.2017 को कोई प्रकरण जवाब में रखा गया किन्तु आगामी तारीख पेशी अंकित नहीं कर प्रकरण सीधे ही दिनांक 10.01.2018 को रखकर बिना जवाब लिये एवं बिना प्रतिवादी/अपीलान्टगण की बहस सुने प्रकरण निर्णय हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.01.2018 को रखकर निर्णय पारित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को विधिवत सुनवाई का अवकर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.01.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 8/2019 अशोकसिंह बनाम बाबूसिंह

प्रकरण संख्या 8/2019 अशोकसिंह बनाम बाबूसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.12.04 15:36:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: